

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24670)

क्रमांक प. 6(8)शिक्षा/गुप-3/2023

जयपुर, दिनांक:- 12.07.2023

:- आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-348.15.0 की अनुपालना में निम्नांकित 10 महाविद्यालयों (09 सहशिक्षा व 01 कन्या शिक्षा) को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत कर, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार नवीन विषय प्रारंभ किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	बजट मद	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय	पद का नाम	स्वीकृत पद
1.	राजकीय महाविद्यालय देशनोक, जिला-बीकानेर	2202-03-103-02-00	भूगोल	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
2.	राजकीय महाविद्यालय खाजूवाला, जिला-बीकानेर	2202-03-103-02-00	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
3.	वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़, जिला-जोधपुर	2202-03-103-02-00	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
4.	राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़, जिला-जयपुर	2202-03-103-02-00	इतिहास	सहायक आचार्य	02
5.	राजकीय महाविद्यालय, सैपड़, जिला-धौलपुर	2202-03-103-02-00	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
6.	राजकीय महाविद्यालय मांगरोल, जिला-बारां	2202-03-103-02-00	भूगोल	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
7.	राजकीय महाविद्यालय, उच्चैन जिला-भरतपुर	2202-03-103-02-00	इतिहास	सहायक आचार्य	02
8.	राजकीय महाविद्यालय, मंगलाना जिला-नागौर	2202-03-103-02-00	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
9.	राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन जिला-पाली	2202-03-103-02-00	लोकप्रशासन	सहायक आचार्य	02
10.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपलू जिला-टोंक	2202-03-103-03-00	भूगोल	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
कुल					26

- उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु सृजित सहायक आचार्य-20, प्रयोगशाला सहायक-03, प्रयोगशाला वाहक-03 कुल 26 नवीन पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
- सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।
- अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152301401 दिनांक 07.07.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.07.12 11:04:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4263351



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.07.12 11:04:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4263351





राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(8) आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2023-24/पार्ट-05457

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 348.15.0 की क्रियान्विति में
10 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(8)शिक्षा/गुप-3/2023 दिनांक 12.07.2023

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर खोले गये विषय को बिना विलंब शुल्क सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
- 2 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर खोले गये विषय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 संयुक्त निदेशक, एचआरडी, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्नातकोत्तर स्तर पर खोले गये विषय की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे तथा उक्त हेतु आवश्यक अतिरिक्त प्रयोगशाला/कक्ष निर्माण के संबंध में महाविद्यालय में विद्यमान भवन/कक्ष को दृष्टिगत रखते हुये यथोचित प्रस्ताव मय तकमीना तैयार कर भिजवायें ।
- 5 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 6 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विमलेश सोनी)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Vimlesh Soni
Designation: Associate Professor
Date: 2023.07.12 17:27:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4269493

